न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–03/2020

मनोहर राम पुत्र श्री गुरदयालराम जाति नायक उम्र 65 वर्ष निवासी 20 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–––– प्रार्थी

बनाम

1. श्री भगवान पुत्र गुरदयालराम जाति नायक उम्र 45 वर्ष निवासी 1 के एस एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. जगदीश पुत्र गुरदयालराम जाति नायक उम्र 52 वर्ष निवासी 20 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. बहादरराम पुत्र गुरदयालराम जाति नायक उम्र 43 वर्ष निवासी 20 एपीडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एंव सपठित धारा 151 सीपीसी.

::निर्णय:: **दिनांक–28.07.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं.–03 ने द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एंव सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी मनोहर राम द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर चक 1 के एस एम तहसील अनूपगढ़ के मुरब्बा नं.–27 पत्थर नं.–276/400 के 1.581 हैक्टर कमाण्ड में आवागमन के लिए इसी मुरब्बा नं.–27 पत्थर नं.–276/400 के किला नं.–23,24,25 में से 1–1 बिस्वा यानि 8–8 फुट रास्ता को स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। लेकिन प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि 1.581 हैक्टर रकबा को जगसीररसिंह पुत्र गजनसिंह, परमजीत सिंह पुत्र जगसीर सिंह मजहबी निवासी 10 एफ बड़ा मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को जरिये बैयनामा दिनांक–08.02.2022 को बेचान किया गया है। बैयनामा की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी मनोहर राम द्वारा उक्त कृषि भूमि का बेचान जरिए बैयनामा कर दिया गया है इस कारण प्रार्थी का इसकी अपनी भूमि में से अधिकार व अधिपत्य समाप्त हो चुके है एवं प्रार्थी का अपनी भूमि पर कोई कब्जा व काश्त नही है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का मकसद ही फौत हो चुका है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने का योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talaniya
Date: 2022.09.20 15:36:55 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रार्थना पत्र का वादी की तरफ से जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहा। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एंव सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी 03 ने निवेदन किया कि प्रार्थी मनोहरलाल द्वारा उक्त कृषि भूमि का बेचान जरिए बैयनामा कर दिया गया है इस कारण प्रार्थी का उसकी अपनी भूमि में से अधिकार व अधिपत्य समाप्त हो चुके है एवं प्रार्थी का अपनी भूमि पर कोई कब्जा व काश्त नही है। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का अधिकार व अधिपत्य समाप्त होने के पश्चात् न्यायालय की राय में अप्रार्थी सं.–03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

फलत अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एतद् द्वारा स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.09.20 15:36:55 IST
Reason: SelfAttested